IJIRSET
International Journal of Innovative Research in
SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

e-ISSN: 2319-8753 | p-ISSN: 2347-6710

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

Volume 12, Issue 1, January 2023

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 8.118

9940 572 462 | 6381 907 438 | ijirset@gmail.com | www.ijirset.com

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET)

| |e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 12, Issue 1, January 2023 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1201009 |

प्राचीन भारत में मादक द्रव्यों का प्रचलन: ऐतिहासिक अवलोकन

Dr. Sunita Meena

Associate Professor, History, Government College, Chaksu, Rajasthan, India

सार

मादक पदार्थों का विभिन्न रूपों में सेवन प्राचीन काल से ही भारत एवं विश्व के अनेक देशों में होता रहा है। मनुस्मृति और वैदिक ग्रंथों में सामाजिक एवं धार्मिक अवसरों पर सुरा, धतूरा, भांग, गांजा आदि मादक पदार्थों के सेवन का उल्लेख मिलता है। मादक पदार्थों के अंतर्गत भांग, ंगांजा, हसीस, हेरोइन, चरस, स्मैक, अफीम, कोकीन आदि आते हैं। उक्त पदार्थों के सेवन अर्थात् मादक द्रव्य व्यसन की समस्या आज पूरे समाज को खोखला कर राष्ट्र के नवनिर्माण में बाधक बन रही है।मादक द्रव्य व्यसन का तात्पर्य है मादक पदार्थों पर शारीरिक निर्भरता अर्थात् मादक पदार्थों के सेवन न करने की स्थिति में शरीर में दर्द, बेचैनी, रूग्णता आदि महसूस होना। दूसरे शब्दों में मादक द्रव्य व्यसन वह दशा है जिसमें शरीर को कार्य करते रहने के लिए मादक पदार्थों के सेवन की निरन्तर आवश्यकता महसूस होती रहती है। फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्प्रभाव दृष्टिगोचर होते रहे हैं। आज मादक पदार्थों का सेवन उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र-छात्राओं द्वारा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति की चकाचौंध में खोये परिवारों द्वारा विभिन्न अवसरों पर नशा करना शिष्टाचार और जीवन शैली का प्रतीक बन गया है। एक तरफ संसार से ऊबे हुए लोग चिन्तामुक्त एवं स्वच्छन्द जीवन जीने की लालसा में मानसिक शांति हेतु मादक पदार्थों का सेवन करते हैं तो दूसरी ओर युवा पीढ़ी प्रतियोगिता की कठिनता, सपनों का टकराव, पाठ्यक्रमों की नीरसता, अंदर ही अंदर कसकते-सिसकते तनाव से मुक्त एवं कल्पनाओं के स्वप्निल संसार में खोने की अदम्य लालसा के कारण नशीली दुनिया में प्रवेश करती है। साथ ही कुछ लोग प्रारम्भ में इनका सेवन औषधीय रूप में, निद्रा लाने व दर्द निवारक के रूप में, चिन्ता, तनाव, कुन्ठा, उदासी आदि दूर करने के लिए, जिज्ञासा शान्त करने के लिए, असफलता मिलने पर हीन भावना दूर करने के लिए, मित्रता के दबाव में, पारिवारिक सदस्यों के अनुकरण में, थकान मिटाने व मौज-मस्ती आदि के उद्देश्य से भ्रमवश करते हैं। फलस्वरूप व्यक्ति मादक पदार्थों के शिकंजे में धीरे-धीरे फंसता चला जाता है।

परिचय

इंसान लगातार दुनिया को बदलते हैं। हम खेतों में आग लगाते हैं, जंगलों को खेतों में बदलते हैं, और पौधों और जानवरों का प्रजनन करते हैं लेकिन मनुष्य केवल हमारी बाहरी दुनिया को नया आकार नहीं देते हैं - हम अपने आंतरिक संसार का निर्माण करते हैं, और अपने दिमाग को नया आकार देते हैं। ऐसा करने का एक तरीका है कि हम अपने मानसिक 'सॉफ्टवेयर' को अपग्रेड करें, ताकि मिथकों, धर्म, दर्शन और मनोविज्ञान के बारे में बात कर सकें।[1,2]

दूसरा हमारे मानसिक हार्डवेयर - हमारे दिमाग को बदलना है। और हम रसायन शास्त्र के साथ ऐसा करते हैं। आज, मनुष्य दुनिया के अपने अनुभव को बदलने के लिए हजारों मनो-सक्रिय यौगिकों का उपयोग करते हैं। कई पौधों और कवक से प्राप्त होते हैं, अन्य जो हम बनाते हैं। कुछ, जैसे कॉफी और चाय, जो सतर्कता बढ़ाते हैं; अन्य, जैसे शराब और अफीम, जो इसे कम करते हैं। मनश्चिकित्सीय दवाएं मूड को प्रभावित करती हैं, जबकि मनोविकृतिकारी पदार्थ वास्तविकता को बदल देते हैं। मदिरा और मादक पदार्थों के साथ इंसान के प्रेम को देखते हुए, आप मान सकते हैं कि नशा करना एक प्राचीन, यहां तक कि प्रागैतिहासिक परंपरा है। कुछ शोधकर्ताओं का तो यह तक कहना है कि प्रागैतिहासिक गुफा चित्र भी चेतना की परिवर्तित अवस्थाओं का अनुभव करने वाले मनुष्यों द्वारा ही बनाए गए थे। अन्य, शायद कठिन सबूतों की तुलना में मतिभ्रम से अधिक प्रेरित हैं, यह सुझाव देते हैं कि दवाओं ने मानव चेतना के विकास को गति दी। 1,00,000 साल पहले अफ्रीका से बाहर आकर, मनुष्यों ने नई भूमि की खोज की और उसका नए पदार्थों से सामना हुआ। लोगों ने भूमध्य सागर में अफीम की भूसी और एशिया में भांग और चाय की खोज की। पुरातत्वविदों को यूरोप में 5,700 ईसा पूर्व तक अफीम के उपयोग के प्रमाण मिले हैं। भांग के बीज एशिया में 8,100 ईसा पूर्व में पुरातात्विक खुदाई में दिखाई देते हैं, और प्राचीन

| |e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 12, Issue 1, January 2023 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1201009 |

यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने सीथियन को 450 ईसा पूर्व में किसी घास से नशा होने की सूचना दी थी। चाय का निर्माण 100 ईसा पूर्व हुआ था। अय्याशी के विकास में एक बड़ा कदम कृषि का आविष्कार था, क्योंकि खेती ने शराब को संभव बनाया। इसने शर्करा और स्टार्च का एक अधिशेष बनाया, जिसे मैश किया गया और सड़ने या खमीर होने के लिए छोड़ दिया गया, जिसके बाद यह जादुई रूप से शक्तिशाली काढ़े में बदल गया।

मनुष्य ने स्वतंत्र रूप से कई बार शराब का आविष्कार किया। सबसे पुरानी शराब 7,000 ईसा पूर्व की है। शराब 6000 ईसा पूर्व में काकेशस में बनाई गई थी; सुमेरियों ने 3,000 ईसा पूर्व में बीयर पी थी। एज़्टेक ने आज के एलोवेरा जैसे एक पौधे का इस्तेमाल करके एक पेय बनाया, जो आज टकीला के लिए उपयोग किया जाता है; इंकास ने चीचा, एक मक्के की बीयर बनाई।[3,4]

मादक पदार्थों की लत का खतरा भारत के युवाओं में तेज़ी से फैल रहा है।भारत विश्व के दो सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों के मध्य में स्थित है जिसके एक तरफ स्वर्ण त्रिभुज (Golden triangle) क्षेत्र और दूसरी तरफ स्वर्ण अर्धचंद्र (Golden crescent) क्षेत्र स्थित है।स्वर्ण त्रिभुज क्षेत्र में थाईलैंड, म्यांँमार, वियतनाम और लाओस शामिल हैं।स्वर्ण अर्द्धचंद्र क्षेत्र में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान शामिल हैं।

भारत में मादक पदार्थ के उपयोग से संबंधित वर्ष 2019 में जारी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) रिपोर्ट के अनुसार:अल्कोहल, भारत में नशे हेतु सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला पदार्थ है। वर्ष 2018 में आयोजित सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 5 करोड़ भारतीयों द्वारा भांँग और अफीम का उपयोग किया गया ।अनुमान के अनुसार, लगभग 8.5 लाख लोग ड्रग्स इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं।रिपोर्ट में नशे के कुल अनुमानित मामलों में आधे से अधिक पंजाब, असम, दिल्ली, हरियाणा, मणिपुर, मिज़ोरम, सिक्किम और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से हैं।लगभग 60 लाख लोगों को अफीम के सेवन की समस्या से मुक्त होने की आवश्यकता है।बच्चों में सर्वाधिक शराब के सेवन का प्रतिशत पंजाब में पाया गया तथा इसके बाद क्रमशः पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का स्थान है।[5,6]

विचार-विमर्श

मादक पदार्थों के सेवन से उत्पन्न स्थिति को दव्य मादकता (Substance intoxication) कहते हैं।

व्यसन शब्द अंग्रेजी के 'एडिक्ट' शब्द का रूपान्तरण है जिससे शारीरिक निर्भरता की स्थिति प्रकट होती है। व्यसन का अभिप्राय शरीर संचालन के लिए मादक पदार्थ का नियमित प्रयोग करना है अन्यथा शरीर के संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। व्यसन न केवल एक विचलित व्यवहार है अपितु एक गम्भीर सामाजिक समस्या भी है। तनावों, विशदों, चिन्ताओं एवं कुण्ठाओं से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति कई बार असामाजिक मार्ग अपनाकर नशों की और बढ़ने लगता है, जो कि उसे मात्र कुछ समय के लिए उसे आराम देते हैं। किसी प्रकार का व्यसन (नशा) न केवल व्यक्ति की कार्यक्षमता को कम करता है अपितु यह समाज और राष्ट्र दोनों के लिए हानिकारक है। नशीले पदार्थो की प्राप्ति हेतु व्यक्ति, घर, मित्र और पड़ोस तकमें चोरी एवं अपराधी क्रियाओं को अंजाम देने लगता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो व्यसन विभिन्न बिमारियों को आमंत्रण देता है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह तस्करी, आतंकवाद एवं देशद्रोही गतिविधियों को बढ़ावा देता है। सामाजिक दृष्टि से जुआ, वेश्यावृति, आतंकवाद, डकैती, मारपीट, दंगे अनुशासनहीनता जैसी सामाजिक समस्याएँ व्यसन से ही संबंधित हैं। व्यसनी व्यक्ति दीर्घकालीन नशों की स्थिति में उन्मत्त रहता है तथा नशीले पदार्थ पर व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक तौर पर पूर्णतया आश्रित हो जाता है, जिसके हानिकारक प्रभाव केवल व्यक्ति ही नहीं अपितु उसके परिवार और समाज पर भी पड़ते हैं।[7,8]

मुख्य रूप से ६ प्रकार की मादक द्रव्य उपयोग किये जाते हैं-

- 1. शराब
- 2. अवसादक/शान्तिकर पदार्थ (sedative and hypnotic)
- 3. उत्तेजक पदार्थ (stimulant)
- 4. नार्कोटिक/स्वापक (narcotic)
- 5. भ्रमोत्पादक
- 6. निकोटीन

| |e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 12, Issue 1, January 2023 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1201009 |

नशा विश्वभर की एक गम्भीर समस्या है अतः इस समस्या के लिए संयुक्त आक्रमण की आवश्यकता है जिसमें व्यसनियों का उपचार, सामाजिक उपाय, शिक्षा आदि सम्मिलित है। आधुनिक समाज में जनसंख्या की संरचना में होने वाले परिवर्तन एवं सामाजिक विकास से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतियोगी प्रक्रियाऐं काफी तीव्र हो गई हैं जिसका स्पष्ट प्रभाव विभिन्न सामाजिक संस्थाओं पर दिखाई देता है। लोगों का अलगाव, तनाव और अवसाद से मानसिक संतुलन गड़बड़ाने लगा है, यही कारण है कि मादक पदार्थो के सेवन का प्रतिशत गांव, नगर, विद्यालय एवं महाविद्यालय और महिलाओं में बढ़ता जा रहा है। अतः सामाजिक विघटन को रोकने के लिए व्यसन की इस अनियंत्रित स्थिति पर नियंत्रण आवशयक है।

समाजशास्त्रीय दृष्टि से व्यसन की रोकथाम के लिए किये जाने वाले उपायों को मोटे तौर पर चार श्रेणियों में विभाजन किया जा सकता है - (1) शैक्षणिक उपाय (2) प्रवर्तक उपाय (मनाने वाले) (3) सुविधाजनक उपाय और (4) दण्डात्मक उपाय।

इन उपायों में से अधिकांशतः शौक्षणिक उपायों में नशे के शारीर और मन पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में ज्ञान प्रदान कर जागरूकता लाने का प्रयास किया जाता है ताकि नशीले पदार्थ के सेवन के प्रति भय उत्पन्न हो जाए। जबकि दण्डात्मक उपाय में नशा करने वालों का अलगाव या विसंबंधन किया जाता है। व्यसन की रोकथाम के लिए किए जाने वाले प्रमुख उपायों में निम्न बातों को ध्यान रखा जाना चाहिये।[9,10]

मादक व्यसनी का पता लगाना ही अपने आप में एक कठिन कार्य नहीं है अपितु, व्यसनीयों का उपचार करना भी अत्यधिक कठिन है। व्यक्तिगत रूप से यह कार्य और भी ज्यादा मुश्किल है अर्थात ऐसे लोगों के उपचार में मादक द्रव्यों के सेवन पर पूर्ण नियंत्रण की आवश्यकता होती है, जो घर की अपेक्षा चिकित्सालय में अधिक सम्भव है।

व्यसन एक मानसिक रोग है जिसका उपचार मनोचिकित्सकों एवं औषधियों से संभव है। इन व्यक्तियों का उपचार विभिन्न चिकित्सा केन्द्रों, मेडिकल कॉलेजों एवं नशा मुक्ति केन्द्रों पर निःशुल्क भी किया जाता है। व्यसन के उपचार के दौरान इन्हें लम्बे समय तक परामर्श की आवश्यकता होती है।

व्यसन या आसक्ति (Addiction) की विशेषता है कि दुष्परिणामों के बावजूद व्यक्ति को ड्रग/अल्कोहल की बाध्यकारी लत लग जाती है। व्यसन को एक जीर्ण मानसिक रोग भी कह सकते हैं।

मादक द्रव्य वैसे पदार्थ को कहते हैं जिनके सेवन से नशे का अनुभव होता है तथा लगातार सेवन करने से व्यक्ति उसका आदी बन जाता है।

हमारे समाज में कई प्रकार के मादक द्रव्यों का प्रचलन है जैसे- शराब, ह्वीस्की, रम, बीयर, महुआ, हंड़िया आदि सामाजिक मान्यता प्राप्त वैध पदार्थ हैं। अनेक अवैध पदार्थ भी काफी प्रचलित हैं जैसे- भाँग, गांजा, चरस, हेरोइन, ब्राउन सुगर तथा कोकिन आदि।

डाक्टरों द्वारा नींद के लिए या चिन्ता या तनाव के लिए लिखी दवाइयों का उपयोग भी मादक द्रव्यों के रूप में होता है।[11,12]

तम्बाकूयुक्त पदार्थ जैसे सिगरेट, खैनी, जर्दा, गुटखा, बीड़ी आदि भी इनके अन्तर्गत आते हैं। इनके अलावे कुछ पदार्थों का भी प्रचलन देखा जाता है जैसे- कफ सीरप, फेन्सीडिल या कोरेक्स का सेवन।

वाष्पशील विलायक (वोलाटाइल सोलवेन्ट) यानि वैसे रासायनिक पदार्थों का सेवन जिनके वाष्प को श्वास द्वारा खींचने पर शराब के नशे से मिलता-जुलता असर होता है, जैसे-पेट्रोल, नेल पॉलिश रिमूभर, पेन्ट्स, ड्राई क्लीनींग सोल्यूसन आदि भी मादक पदार्थ हैं।

इसके कई कारण हो सकते हैं। परन्तु साधारणतः इनका सेवन लोग आनन्द के लिए करते हैं। इनके सेवन में थोड़े समय के लिए आनन्द की अनुभूति होती है, आत्म-विश्वास बढ़ा हुआ महसूस होता है तथा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ लगता है। चूँकि ये प्रभाव थोड़े समय तक ही रहता है इसलिए दुबारा ऐसी अनुभूति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति इनके बार-बार इस्तेमाल करने के लिए विवश हो जाता है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के मानसिक व शारीरिक स्थितियों जैसे- [तनाव]], चिन्ता, अवसाद, क्रोध, बोरियत, अनिद्रा तथा शारीरिक पीड़ा आदि से मुक्त होने के लिए भी इनका सेवन किया जाता है।

कई बार दोस्तों के दबाव में आकर घर में बड़े व अन्य से इनका सेवन लोग सीख लेते हैं। कुछ लोग कई प्रकार के अलौकिक व आध्यात्मिक अनुभव के लिए भी इनका सेवन करते हैं, जैसे-साधू, संन्यासी इत्यादि।

चूँकि इन मादक द्रव्यों का प्रभाव थोड़े समय तक ही रहता है इसलिए लोग इनके बार-बार सेवन के लिए विवश हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त लम्बे समय तक लगातार सेवन के बाद व्यक्ति चाह कर भी इनका सेवन नहीं रोक पाता है क्योंकि इनका सेवन बंद करते ही

| |e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 12, Issue 1, January 2023 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1201009 |

विभिन्न प्रकार के कष्टदायक मानसिक व शारीरिक लक्षण उत्पन्न होते हैं जो दुबारा सेवन करने से ठीक होते हैं। इस प्रकार से भी व्यक्ति लगातार इसके सेवन के लिए विवश हो जाता है और धीरे-धीरे वह इसके शिकंजे में फँस कर इनका आदी बन जाता है।

मादक पदार्थों के सेवन का बहुत ही व्यापक असर आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। चूंकि मादक द्रव्य मुफ्त में तो नहीं उपलब्ध होता है इसलिए आर्थिक स्थिति पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। जैसे मादक द्रव्यों पर अधिक खर्च करना, आर्थिक दायित्वों का पूरा न कर पाना, उधार लेना, घर के सामानों को बेचना, घर के व्यक्तियों से मादक पदार्थों के लिए अनावश्यक रूप से अधिक पैसों की मांग करना।

इसके अन्य जीवन कलापों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, जैसे-कार्यक्षमता में गिरावट, दक्षता में गिरावट, समय पर काम नहीं कर पाना, कार्यक्षेत्र से अक्सर अनुपस्थित होना, कार्यक्षेत्र में झगड़ा करना, दुर्घटना, सस्पेंड होना, नौकरी बदलना, बेरोजगार होना, दूसरों के साथ गलत व्यवहार व बुरा बरताव करना, झगड़ा मारपीट करना, सामाजिक ख्याति या कीर्ति का हनन होना, सामाजिक अवस्था में गिरावट, सामाजिक बहिष्कार।[13,14]

उपचार के लिए सबसे जरूरी है - व्यक्ति में नशा छोड़ने की कटिबद्धता और प्रबल इच्छा शक्ति होना। उपचार मुख्यतः किसी नशाविमुक्ति केन्द्र या अन्य स्रोतों के द्वारा संभव है। उपचार में सबसे पहले विनिवर्तन लक्षण (विड्राल सिम्टम्स) को ठीक किया जाता है जिसे निराविषीकरण (Detoxification) कहते हैं। उसके बाद विभिन्न जैविक और मनोवैज्ञानिक उपचार आगे जारी रखने के लिए उपलब्ध हैं। मनोवैज्ञानिक उपचार- प्रेरक साक्षात्कार (Motivation Interviewing), समूह चिकित्सा (Group Therapy) व Relapse Prevention आदि काफी महत्वपूर्ण हैं। चिकित्सक मनोवैज्ञानिक व मरीज के सतत् प्रयासों से इस पर काबू पाया जा सकता है।

कोई व्यक्ति जो मादक द्रव्यों का आदी हो गया है उस व्यक्ति के अन्दर इन पदार्थों को छोड़ने की इच्छा शक्ति होना आवश्यक है, यदि नहीं है तो मनोवैज्ञानिक इसके लिए आपकी मदद कर सकते है। याद रखें, नशा एक जहर है, आपको इससे बचने तथा इसके इलाज करने में देरी नहीं करना चाहिए।

नवंबर 2016 में नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटर (Narco-Coordination Centre- NCORD) का गठन किया गया और राज्य में 'नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो' की मदद के लिये 'वित्तीय सहायता योजना' को पुनर्जीवित किया गया।नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एक नया सॉफ्टवेयर विकसित करने हेतु धनराशि उपलब्ध कराई गई है, अर्थात् ज़ब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली (Seizure Information Management System - SIMS) ड्रग अपराधों और अपराधियों का पूरा ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करेगी।सरकार द्वारा नारकोटिक ड्रग्स की अवैध ट्रैफिक से निपटने में आने वाले खर्च को पूरा करने हेतु 'मादक पदार्थों के नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कोष' (National Fund for Control of Drug Abuse) नामक फंड की स्थापना की गई जिसका उपयोग नशेड़ियों का पुनर्वास और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जनता को शिक्षित आदि करने में किया जाता है।सरकार एम्स के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर (National Drug Dependence Treatment Centre) की मदद से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से भारत में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को मापने हेतु एक राष्ट्रीय ड्रग सर्वेक्षण (National Drug Abuse Survey) भी कर रही है।स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में उत्तर-पूर्वी राज्यों में बढ़ते एचआईवी के प्रसार से निपटने हेतु, विशेष रूप से ड्रग्स इंजेक्शन का प्रयोग करने वाले लोगों में इसके प्रयोग को रोकने हेतु 'प्रोजेक्ट सनराइज़' (Project Sunrise)को शुरू किया गया था।द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, (NDPS) 1985: यह किसी भी व्यक्ति द्वारा मादक पदार्थ या साइकोट्रॉपिक पदार्थ के उत्पादन, बिक्री, क्रय, परिवहन, भंडारण, और / या उपभोगको प्रतिबंधित करता है।NDPS अधिनियम में वर्ष 1985 से तीन बार (1988, 2001 और 2014 में) संशोधन किया गया है।यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है तथा भारत के बाहर सभी भारतीय नागरिकों और भारत में कृत जहाजों और विमानों पर भी समान रूप से लागू होता है।सरकार द्वारा 'नशा मुक्त भारत अभियान'[15,16] (Nasha Mukt Bharat Abhiyan) को शुरू करने की घोषणा की गई है जो सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों पर केंद्रित है।मादक पदार्थों के खतरे पर नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और सम्मेलन:

भारत मादक पदार्थों के खतरे से निपटने हेतु निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संँधियों और अभिसमयों का हस्ताक्षरकर्त्ता देश है:

- नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) कन्वेंशन (1961)
- साइकोट्रोपिक पदार्थों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (1971)।
- नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थों के अवैध यातायात के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (1988)।
- ट्रांसनेशनल क्राइम (UNTOC), 2000 के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन।

| |e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 12, Issue 1, January 2023 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1201009 |

परिणाम

जिसका निर्माण पूरी तरह निषिद्ध है औषध:
क्रूड कोकीन, इगोनिन और डियसेटयलमॉर्फिने (आमतौर पर हेरोइन के रूप में जाना जाता है) और उनके लवण।
केवल सरकार अफीम और उपक्षार वर्क्स या द्वारा निर्मित किया जा सकता है, जो औषध सरकार ने लाइसेंस जारी करने के लिए जनता के हित में होना करने के लिए यह निर्धारित करता है कि अगर एक लाइसेंस जारी किया जाता है जब:
मॉर्फिन, कोडेयैन , डिओनिने , तेबायने, डीहद्रोकोडेनओए , डीहद्रोकोडेयने, असेत्यलडीहद्रोकोडेयने, असेत्यलडीहद्रोकोडेइंोने, डीहद्रोमोर्फिने, डीहद्रोमोर्फिनोने, डीहद्रोहयड्रोक्षी कोडेइंोने, फोलकॉडिने आंड देयर रेस्पेक्टिव सॉल्ट्स[17,18]
एक लाइसेंस प्राप्त करने के बाद निर्मित किया जा सकता है, जो औषध :
उपरोक्त के अलावा अन्य मादक दवाओं नारकोटिक्स आयुक्त से एक लाइसेंस प्राप्त करने के बाद निर्मित किया जा सकता है। नारकोटिक्स आयुक्त की स्थिति राज्य औषध नियंत्रक और लाइसेंस से नियम अधिकार का उपयोग करने के लिए राज्य एनडीपीएस नियमों के तहत राज्य सरकार से प्राप्त किया जा करने के लिए / औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम से एक विनिर्माण लाइसेंस के उत्पादन सहित पूरा कर रहे हैं केवल यदि एक लाइसेंस जारी करता है मादक दवाओं की बिक्री।
विशिष्ट कानूनी प्रावधानों के लिए, एनडीपीएस नियम के अध्याय वी, 1985 देखें।नशीली दवाओं और मादक पदार्थों निम्न प्रतिबंध के लिए आयात किया है और इस विषय में निर्यात किया जा सकता है:
आयात और एनडीपीएस नियम की अनुसूची में सूचीबद्ध मादक दवाओं और मादक पदार्थों के निर्यात निषिद्ध है।अफीम, पोस्त पुआल, और अफ़ीम, कोडीन का ध्यान, तेबायने और उनके लवण का आयात सरकार अफीम फैक्टरी द्वारा छोड़कर निषिद्ध है। बहरहाल, कारण प्रक्रिया का पालन करने के बाद पदार्थों आयात कर सकते हैं एक वर्ष में 1 किलो के लिए इन पदार्थों के नमूनों की ये केवल निर्यात के लिए पदार्थ, और आयातकों की आवश्यकता होती है जो कुछ निर्माताओं, वे ऐसा करने के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित कर रहे हैं प्रदान की है।कुछ मादक पदार्थों के निर्यात विशिष्ट देशों के लिए अनुमति नहीं है। प्रत्येक पदार्थ निर्यात नहीं किया जा सकता है, जो करने के लिए इन पदार्थों और देशों एनडीपीएस नियम, 1985 की अनुसूची II[19,20] में सूचीबद्ध हैं।किसी भी मादक दवा या मादक पदार्थ आयात करने के लिए, एक के लिए लागू करते हैं और प्रत्येक खेप के लिए नारकोटिक्स आयुक्त से एक आयात प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए.किसी भी मादक दवा या मादक पदार्थ निर्यात करने के लिए, एक के लिए लागू करते हैं और प्रत्येक खेप के लिए नारकोटिक्स आयुक्त से एक निर्यात प्राधिकरण प्राप्त करना चाहिए।आयात और नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के निर्यात के बारे में अधिक जानकारी के लिए, एनडीपीएस नियमावली, 1985 को देखें। मादक/नशीले पदार्थों की लत को किसी भी व्यक्ति के चरित्र दोष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये, बल्कि इसे एक बीमारी के रूप में देखा जाना चाहिये, जिससे कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। ऐसे में मादक/नशीले पदार्थों से जुड़े कलंक को समाप्त करने की आवश्यकता है। समाज को यह समझने की ज़रूरत है कि नशा करने वाले पीड़ित हैं, अपराधी नहीं। कुछ विशिष्ट मादक पदार्थों में 50 प्रतिशत तक अल्कोहॉल और नशीली चीज़े होती है, ऐसे पदार्थों के उत्पादन और खेती पर कड़ाई से रोक लगाने की आवश्यकता है। देश में मादक/नशीले पदार्थों की समस्या पर अंकुश लगाने के लिये पुलिस अधिकारियों और आबकारी विभाग तथा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की और से सख्त कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 को और अधिक सख्ती से लागू किया जाना चाहिये। बिहार में शराबबंदी जैसे निर्णय इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण समाधान हो सकते हैं। जब लोग आत्म-संयम नहीं रखते हैं, तो सरकार को 'राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों' के हिस्से के रूप में महत्त्वपूर्ण कदम उठान पड़ता हैं।शैक्षिक पाठ्यक्रम में नशा मुक्ति, इसके प्रभाव और इससे संबंधित विषय शामिल किये जाने चाहिये। इसके अलावा उचित परामर्श भी एक विकल्प हो सकता है।

निष्कर्ष

मादक पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभावों से लोगों को अवगत कराने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस मनाया। इसके साथ ही मंत्रालय ने मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ एक अभियान की भी शुरूआत की। उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलौत ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर,श्री राम दास आठवले, श्री रतन लाल कटारिया तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव सुश्री नीलम सहानी और कई मणमान्य लोग भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि मादक पदार्थों का सेवन एक वैश्विक चुनौती है। यहां तक कि विकसित देश भी इसके खिलाफ लड़ाई में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। मादक पदार्थ किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को अपनी

| |e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 12, Issue 1, January 2023 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1201009 |

गिरफ्त में ले सकता है। विशेषकर युवा, किशोर और कम उम्र के युवाओं में मादक पदार्थ तस्करों के गिरफ्त में आने की संभावना अधिक रहती है। संभावित पीड़ितों को मादक पदार्थों के सेवन से होने वाली बर्बादी के बारे में सचेत किया जाना चाहिए, ताकि वे अपने को इस जाल से सुरक्षित रख सकें। यह चुनौती इतनी बड़ी है कि सरकारी एजेंसियों द्वारा किये जाने वाले प्रयास इस खतरे को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। राज्य सरकार, गैर-सरकारी संगठन और समर्पित व्यक्तियों पर इस खतरे को समाप्त करने की बड़ी जिम्मेदारी है।

उन्होंने यह राय व्यक्त की कि नशे की लत की समस्या इतनी बड़ी है कि अकेले सरकारी एजेंसियों के प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे। इस लत के उन्मूलन की बड़ी जिम्मेदारी गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) और अन्य समर्पित लोगों को भी उठानी होगी।

श्री थावरचंद गहलोत ने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया कि मंत्रालय ने ज्यादा जोखिम वाले कुछ जिलों की पहचान भी की है जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ताकि मादक द्रव्यों की मांग घटाने के लिए सामुदायिक भागीदारी और जन सहयोग बढ़ाया जा सके। किशोरों एवं युवाओं में कम उम्र में ही नशे की लत की रोकथाम के लिए समुदाय आधारित हमउम्र के लोगों का सहयोग लेना और नशा मुक्ति केंद्रों तक इन लोगों की पहुंच सुनिश्चित करना भी इन कार्यक्रमों में शामिल है।

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया ने अपने स्वागत भाषण में इस दिवस के महत्व तथा मंत्रालय द्वारा इस संबंध में किये गये प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि एल्कोहल और मादक पदार्थ का सेवन भारत में एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आई है। एल्कोहल और मादक पदार्थ का सेवन केवल एक व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को अस्त-व्यस्त कर देता है। युवा वर्ग द्वारा मादक पदार्थों का सेवन पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है और भारत भी इसका अपववाद नहीं है। क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्रों, गैर-सरकारी संगठनों, राज्य सरकारों, मीडिया आदि की सहायता से हम इस सामाजिक समस्या को खत्म कर सकते है।

सुश्री साहनी ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए उपराष्ट्रपति को धन्यवाद दिया और कहा कि इस तरह के सरोकारों से उनका जुड़ना मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों और ऐसे पदार्थों की मांग घटाने के लिए प्रयासरत व्यक्तियों और संस्थानों को प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के प्रति भी आभार व्यक्त किया और कहा कि उनके सक्षम नेतृत्व में मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग घटाने की दिशा में कई पहल की है।[18,19]

मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुश्री रश्मि चौधरी ने 'वास्तविक इस्तेमाल की सीमा और प्रतिमान के बारे में राष्ट्रीय सर्वेक्षण' और 'मादक पदार्थों की मांग में कटौती के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना' के बारे में एक रिपोर्ट पेश की। सरकार ने छोटी उम्र में बहुत अधिक लोगों द्वारा मादक पदार्थों का सेवन करने और युवा आबादी के बीच मादक पदार्थों के इस्तेमाल में बहुत अधिक वृद्धि को देखते हुए ये दोनों पहल की हैं। सामाजिक स्वास्थ्य संबंधी इस गंभीर समस्या का समाधान करने के लिए भारत में इसके इस्तेमाल की सीमा और प्रतिमान की वास्तविक जानकारी हासिल करना एक महत्वपूर्ण पहला कदम है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हर वर्ष 26 जून को मादक पदार्थ और उनकी अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए यह प्रमुख मंत्रालय है। यह मादक पदार्थों के इस्तेमाल की रोकथाम के सभी पहलुओं की निगरानी करता है, जिसमें समस्या की सीमा का आकलन, उसके रोकथाम का कार्य, इलाज और व्यसन करने वालों के पुनर्वास, सूचना का प्रसार और लोगों में जागरूकता पैदा करना शामिल है। मंत्रालय स्वयंसेवी संगठनों के जरिए व्यसन करने वालों की पहचान, उनका इलाज और उनके पुनर्वास के लिए समुदाय आधारित सेवाएं प्रदान करता है। मंत्रालय नशे की लत छुड़ाने वाले केन्द्रों को चलाने के लिए देशभर के एनजीओ को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय ने नशे की लत छुड़ाने के लिए 24 घंटे का एक राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाईन नंबर 1800110031 स्थापित किया है, जो नशा करने वालों, उनके परिवार और समाज की मदद करता है।[21]

संदर्भ

1. PMID 17382831 (PubMed)
   Citation will be completed automatically in a few minutes. Jump the queue or expand by hand
2. ↑ Substance abuse at Dorland's Medical Dictionary
3. ↑ drug abuse at Dorland's Medical Dictionary

| |e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2347-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.118| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 12, Issue 1, January 2023 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1201009 |

4. ↑ (2002). मॉसबी'स मेडिकल, नर्सिंग एण्ड एलाइड हेल्थ डिक्शनरी. छठा संस्करण. नशीली दवाओं का परिभाषा, पृष्ठ 552. नर्सिंग डायाग्नोसेस, पृष्ठ 2109. ISBN 0-323-01430-5.
5. ↑ "नशीली दवाएं". बीबीसी समाचार.
6. ↑ DSM-IV और DSM-IV-TR: पदार्थ निर्भरता **सन्दर्भ त्रुटि: <ref> अमान्य टैग है; "DSM4" नाम कई बार विभिन्न सामग्रियों में परिभाषित हो चुका है**
7. ↑ Barrett SP, Meisner JR, Stewart SH (2008). "What constitutes prescription drug misuse? Problems and pitfalls of current conceptualizations" (PDF). Curr Drug Abuse Rev. 1 (3): 255–62. PMID 19630724. मूल (PDF) से 15 जून 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 9 अगस्त 2010. नामालूम प्राचल |month= की उपेक्षा की गयी (मदद)
8. ↑ McCabe SE, Boyd CJ, Teter CJ (2009). "Subtypes of non-medical prescription drug misuse". Drug Alcohol Depend. 102 (1–3): 63–70. PMID 19278795. डीओआइ:10.1016/j.drugalcdep.2009.01.007. नामालूम प्राचल |month= की उपेक्षा की गयी (मदद)
9. ↑ Burke PJ, O'Sullivan J, Vaughan BL (2005). "Adolescent substance use: brief interventions by emergency care providers". Pediatr Emerg Care. 21 (11): 770–6. PMID 16280955. नामालूम प्राचल |month= की उपेक्षा की गयी (मदद)
10. ↑ O'Connor, Rory; Sheehy, Noel (29 Jan 2000). Understanding suicidal behaviour. Leicester: BPS Books. पपृ° 33–36. आई°ऍस°बी°ऍन° 978-1-85433-290-5.
11. ↑ Isralowitz, Richard (2004). Drug use: a reference handbook. Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO. पपृ° 122–123. आई°ऍस°बी°ऍन° 978-1-57607-708-5.
12. ↑ Evans, Katie; Sullivan, Michael J. (1 मार्च 2001). Dual Diagnosis: Counseling the Mentally Ill Substance Abuser (2nd संस्करण). Guilford Press. पपृ° 75–76. आई°ऍस°बी°ऍन° 978-1572304468.
13. ↑ जफे, जे.एच.(1975). नशीली दवाओं की लत और नशीली दवाओं के दुरुपयोग. एल.एस. गुडमैन एण्ड ए. गिलमैन (एड्स.) द फरामैकॉलोजिकल बेसिस ऑफ़ थेरापेयुटिस (5 एड.). न्यू यॉर्क: मैकमिलन. पीपी. 284-324.
14. ↑ बोर्ड ऑन बिहेवियरल, संज्ञानात्मक और संवेदी विज्ञान और शिक्षा (BCSSE). (2004) न्यू ट्रीटमेंटस फॉर एडिक्शन: बिहेवियरल, एथिकल, लीगल एण्ड सोशियल क्वेस्चंस. राष्ट्रीय अकादमियों प्रेस. पीपी. 7-8, 140-141
15. ↑ वियना आयोग पर स्वापक औषधि पचास दूसरी सत्र, 11-20 मार्च 2009
16. ↑ "CDC Newsroom Press Release June 3, 2010". मूल से 11 जून 2010 को पुरालेखित.
17. ↑ वैश्विक स्तर की रिपोर्ट की लीटर में कुल दर्ज व्यक्ति (15 +) उपभोग, प्रति 2004 पर शराब शराब
18. ↑ Glasscote, RM, ससेक्स, जे.एन., Jaffe, झा, बॉल, जे, Brill, एल (1932). दुरुपयोग तुम जैसे लोगों के लिए दवा के उपचार ... कार्यक्रम, समस्याओं, संभावनाओं. वाशिंगटन, डीसी: अमेरिकी मनोरोग एसोसिएशन के संयुक्त सूचना सेवा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए नेशनल एसोसिएशन.
19. ↑ नशीली दवाओं के सेवन और आयोग को भंग राष्ट्रीय दूसरी रिपोर्ट की, नशीली दवाओं के प्रयोग अमेरिका में समस्या: p.13 1973 में (परिप्रेक्ष्य मार्च),
20. ↑ अमेरिकी मनोरोग एसोसिएशन (1994). और नैदानिक संस्करण) 4 सांख्यिकीय मैनुअल के मानसिक विकारों (. वाशिंगटन DC
21. ↑ Copeman M (2003). "Drug supply and drug abuse". CMAJ. 168 (9): 1113, author reply 1113. PMC 153673. PMID 12719309. मूल से 6 सितंबर 2009 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 9 अगस्त 2010. नामालूम प्राचल |month= की उपेक्षा की गयी (मदद)

INNO SPACE
SJIF Scientific Journal Impact Factor
Impact Factor: 8.118

doi cross ref

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

निस्केयर NISCAIR

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

9940 572 462 6381 907 438 ijirset@gmail.com

www.ijirset.com

Scan to save the contact details